

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4791
21 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

एसबीएम-यू के तहत अपशिष्ट का प्रसंस्करण

4791. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी (एसबीएम-यू) के अंतर्गत कुल एकत्रित अपशिष्ट का प्रसंस्करण नहीं किया गया है,
- (ख) यदि हाँ, तो चंद्रपुर शहर में प्रतिवर्ष एकत्रित किए जाने वाले कचरे की कुल मात्रा कितनी है और उसमें से संसाधित किए जाने वाले कचरे की मात्रा कितनी है; और
- (ग) क्या सरकार ने इस अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) शुरू किया, जिसका उद्देश्य शहरों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाना और पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश के सभी शहरी क्षेत्रों की नगरपालिका में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करना है। इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को पाँच वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य 100% स्रोत पृथक्करण, घर-घर जाकर संग्रहण और अपशिष्ट के सभी अंशों का वैज्ञानिक प्रबंधन करके सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना है।

एसबीएम-यू 2.0 के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण प्राप्त करने के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध कराने

के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि अपशिष्ट से खाद (डब्ल्यूटीसी) संयंत्र, अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) संयंत्र, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ), निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, जैव-मीथेनेशन संयंत्र, हस्तांतरण स्टेशन, स्वच्छता वैज्ञानिक लैंडफिल और पुरानी डंपसाइट नगरपालिका अपशिष्ट आदि का निपटान।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 100% डोर-टू-डोर संग्रहण 98% वार्डों में अर्थात् कुल 96,222 वार्डों में से 94,541 वार्डों में किया जा रहा है और स्रोत पृथक्करण 91% वार्डों में अर्थात् कुल 96,222 वार्डों में से 87,485 वार्डों में किया जा रहा है। इसके अलावा, देश में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का वैज्ञानिक प्रसंस्करण 2014 के 16% से बढ़कर 80.07% हो गया है, अर्थात् प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 1,61,445 टन (टीडीपी) कचरे में से कुल 1,29,263 टीडीपी कचरे का प्रसंस्करण किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का शहर-वार विवरण https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progress#solid_waste पर देखा जा सकता है।

भारत सरकार ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता के रूप में एसबीएम-यू 2.0 के एसडब्ल्यूएम घटक के अंतर्गत 10930.12 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें से अब तक केंद्रीय हिस्सेदारी की 9439.85 करोड़ रुपये की कार्य योजना को अनुमोदन दिया जा चुका है और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 2022.76 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
